दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) सं. 11881/2009 और सि.वि. सं. 12008/2009

निर्णय की तिथि: 17 दिसंबर, 2013

भारत संघ और अन्य .....याचीगण

द्वारा: श्री. आर.वी. सिन्हा, अधिवक्ता सह
श्री. पी.के. सिंह, अधिवक्ता।

बनाम

जे.पी. सिंह .....प्रत्यर्थी

द्वारा: डॉ. अश्वनी भारद्वाज अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

न्या. गीता मित्तल, (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा मू.अ. सं. 1690/2007 में पारित 19 नवंबर, 2008 के आदेश को चुनौती दी है। इस निर्णय के द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया था कि वर्तमान प्रत्यर्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक

कार्यवाही शुरू करने में अस्पष्टीकृत देरी और विलंब हुआ था। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश द्वारा अधिकरण ने 19 मई, 2006 के ज्ञापन को अभिखंडित कर दिया है, जिसके अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत प्रत्यर्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक जाँच करने की घोषणा की गई थी।

2. प्रत्यर्थी सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के भारतीय राजस्व सेवा के 1992 बैच का अधिकारी था। प्रासंगिक अवधि के दौरान, प्रत्यर्थी सेवा में सहायक आयुक्त के पद पर तैनात था।

3. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा मुंबई में पाँच बेनामी कंपनियों मैसर्स आर.एस. एंड कंपनी, मैसर्स स्टिच एंड स्टाइल, मैसर्स हिमगिरी ओवरसीज़, मैसर्स दीपशिखा ओवरसीज़ और मैसर्स सहारनपुर हैंडीक्राफ़्ट्स के विरुद्ध धोखाधड़ीपूर्ण निर्यात के साथ-साथ शुल्क वापसी के धोखाधड़ीपूर्ण दावे के संबंध में जाँच शुरू की गई थी। ऐसी जाँच के आधार पर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर वापसी नियम, 1995 के नियम 16 के अंतर्गत डीआरआई द्वारा दिनांक 3 दिसंबर, 1999 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 114 (i), 114 (ii) और 117 के अंतर्गत जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया। आरोप यह था कि प्रत्यर्थी ने शुल्क वापसी का दावा करने के लिए पुराने और प्रयुक्त कपड़ों का गलत तरीके

से अधिक मूल्य घोषित करके धोखाधड़ीपूर्ण निर्यात करने के लिए राजेश कुमार नामक व्यक्ति के साथ षड्यंत्र किया था।

4. 7 मार्च, 2000 को प्रत्यर्थी को निलंबित कर दिया गया, जिसे मार्च, 2001 में प्रतिसंहृत कर दिया गया।

5. प्रत्यर्थी ने सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया तथा 15 अक्टूबर, 2001 को अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ भी प्रस्तुत कीं। 19 अगस्त, 2003 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी पर 2,00,000/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। जुर्माना अधिरोपित करने के इस आदेश को प्रत्यर्थी ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष चुनौती दी थी। इस जुर्माने पर प्रारंभ में 29 अक्टूबर, 2003 को पारित आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी। प्रत्यर्थी की अपील को सीईएसटीएटी ने 2 नवंबर, 2005 को पारित अंतिम आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया और उस पर जुर्माना अधिरोपित करने वाले आदेश को अभिखंडित कर दिया।

हमारे सामने यह निर्विवाद है कि यह आदेश अंतिम हो गया है।

6. इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 25 सितंबर, 2002 को याचिकाकर्ता को संयुक्त आयुक्त के पद पर भी पदोन्नत किया गया।

7. इसके बाद याचीगण ने 19 मई, 2006 को ज्ञापन जारी कर सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत प्रत्यर्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक जाँच करने का इरादा जताया और उन्हें उन आरोपों की जानकारी दी जो केवल उपरोक्त निर्यात लेनदेन से संबंधित थे। प्रत्यर्थी ने 1 सितंबर, 2006 को उत्तर प्रस्तुत किया और उसके बाद डेढ़ साल से अधिक समय तक कुछ नहीं हुआ।

8. यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी ने 19 मई, 2006 के ज्ञापन को मू.अ. सं. 1690/2007 के माध्यम से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी। प्रत्यर्थी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष याचिका दायर करने के छह महीने से अधिक समय बाद, याचीगण ने 4 मार्च, 2008 को एक आदेश जारी किया, जिसमें प्रत्यर्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए एक जाँच अधिकारी के साथ-साथ एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता डॉ. भारद्वाज ने हमें यह भी बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी की है। वर्तमान प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं पाई गई और उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला भी शुरू नहीं किया गया।

10. प्रत्यर्थी ने 19 मई, 2006 के आदेश को अधिकरण के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी थी कि याचिकाकर्ता 2006 में अपने गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड

के लिए विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने पर विचार कर रहे थे और प्रत्यर्थी विचाराधीन था। 19 मई, 2006 का आक्षेपित ज्ञापन केवल प्रत्यर्थी के इस विचार को रोकने के लिए जारी किया गया था।

11. प्रत्यर्थी ने यह भी प्रतिवाद दिया है कि 19 मई, 2006 का आरोप-पत्र उन आरोपों पर आधारित था जो 3 दिसंबर, 1999 के कारण बताओ नोटिस के समान थे।

12. प्रत्यर्थी ने हमारा ध्यान सीईएसटीएटी द्वारा पारित 21 नवंबर, 2005 के आदेश की ओर आकर्षित किया है, जिसमें इस आशय के विशिष्ट निष्कर्ष दिए गए हैं कि प्रत्यर्थी को किसी भी मौद्रिक अंतरण का कोई सबूत नहीं था और प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य भी नहीं था। सीईएसटीएटी ने यह भी देखा है कि प्रत्यर्थी की ओर से किसी भी व्यक्तिगत हित का कोई सबूत नहीं था और माल के निर्यात के संबंध में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। आक्षेपित कंपनियों को दावे के भुगतान और प्रत्यर्थीगण के बकाए को रोकने में प्रत्यर्थी की कार्रवाई की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, जो दर्शाता है कि प्रश्नगत कंपनियों के साथ प्रत्यर्थी का कोई संबंध नहीं था।

13. प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती स्वीकार करने में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष एक महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि आरोप वर्ष 1998 के लेन-देन से संबंधित हैं, जबकि आरोप पत्र वर्ष 2006 में ही जारी किया गया था, जो कि उन सामग्रियों पर आधारित था जो वर्ष 1998 में भी याचीगण के पास, उनके

अधिकार में और उनके ज्ञान में थीं। मामले की जाँच दो एजेंसियों द्वारा की गई थी, सबसे पहले राजस्व आसूचना विभाग और उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा, जिन्होंने कथित लेन-देन में प्रत्यर्थी की कोई दोषीता नहीं पाई थी। प्रत्यर्थी ने देरी के साथ-साथ इस तथ्य के कारण भी पूर्वाग्रह का दावा किया है कि उन्हें ऐसे साक्षियों से प्रति-परीक्षा करने का कोई अवसर नहीं मिला, जिनके बयान सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए थे और इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि इस अत्यधिक विलंबित चरण में, उनके बचाव का समर्थन करने के लिए वर्तमान में कोई साक्षी उपलब्ध नहीं होगा।

14. हम पाते हैं कि न केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और आरोप-पत्र जारी करने में देरी हुई, बल्कि जाँच अधिकारी की नियुक्ति में भी बहुत और अस्पष्टीकृत देरी हुई, जो 4 मार्च, 2008 को हुई। प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया है कि जाँच का उद्देश्य उसकी निर्दोषता के बावजूद उसे परेशान करना था और यह किसी भी गुणागुण के आधार पर नहीं है।

15. यह उल्लेख करने योग्य है कि समान लेनदेन के संबंध में, याचीगण ने अन्य सीमा शुल्क कर्मचारियों को भी इसी तरह के विलंबित आरोप-पत्र जारी किए थे। हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया जाता है कि समान लेनदेन के संबंध में, याचीगण ने सीमा शुल्क के साथ एक अधीक्षक के रूप में तैनात जोसेफ कुओक को आरोप-पत्र का ज्ञापन जारी किया था। आरोपों का ज्ञापन उसे 15 जनवरी, 2010 को जारी किया गया था, जिसे उसने केंद्रीय

प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मू.अ. सं. 2727/2010 के माध्यम से चुनौती दी थी। जोसेफ कुओक की चुनौती उन आधारों के समान थी, जिन पर प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अधिकरण ने 16 मई, 2011 को एक आदेश के माध्यम से जोसेफ कुओक की चुनौती को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि जोसेफ कुओक के विरुद्ध विभागीय जाँच शुरू करने में अस्पष्ट और अनुचित देरी के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही अस्वीकार्य थी। अधिकरण के इस आदेश को याचीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई और यह अंतिम हो गया।

16. एक तीसरे व्यक्ति हरि सिंह, जो उस समय सीमा शुल्क विभाग में निरीक्षक के रूप में कार्यरत था, को भी उसी लेनदेन के संबंध में आरोपों का ऐसा ही ज्ञापन जारी किया गया। वर्तमान याचीगण (हरि सिंह द्वारा चुनौती में प्रत्यर्थीगण) ने सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत उसी कारण बताओ नोटिस और वर्तमान मामले की जाँच रिपोर्ट पर भरोसा किया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आरोपों के ज्ञापन को हरि सिंह द्वारा दी गई चुनौती को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नि.अ. सं. 27/2012 में मू.अ. सं. 1844/2011 में पारित 8 जनवरी, 2013 के निर्णय द्वारा भी सफलता मिली थी।

17. वर्तमान याचीगण ने अधिकरण के इस निर्णय को रि.या. (सि.) सं. 4245/2013 के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसे 23 सितंबर, 2013 के निर्णय

द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय के इस निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में अत्यधिक और अनुचित देरी हुई थी, को याचिकाकर्ता द्वारा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई और वे भी अंतिम हो गए हैं।

18. हम पाते हैं कि अधिकरण द्वारा 19 नवंबर, 2008 के आदेश में विस्तृत कारण दर्ज किए गए हैं, जिन्हें वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। जिन मुद्दों पर रिट याचिका आधारित है, वे हमारे समक्ष उठाए गए थे और हमने 23 सितंबर, 2013 को रि.या. (सि.) सं. 4245/2013 में ***भारत संघ एवं अन्य बनाम हरि सिंह*** नामक निर्णय में उन पर निर्णय लिया था। वर्तमान मामले में याचीगण द्वारा दी गई चुनौती हरि सिंह द्वारा उस मामले में दी गई चुनौती के समान ही है।

19. अधिकरण ने उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थीगण आरोप-पत्र की शुरूआत में हुई अत्यधिक देरी के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं, जिससे प्रत्यर्थी के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचीगण हमारे समक्ष हुई देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं।

20. अन्य परिस्थितियाँ जिनमें यह तथ्य शामिल है कि प्रत्यर्थी को पदोन्नत किया गया था; प्रत्यर्थी पर अधिरोपित किए गए जुर्माने को अभिखंडित करने का आदेश याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था; साथ ही यह तथ्य कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रत्यर्थी की कोई दोषीता नहीं पाई, प्रत्यर्थी के मामले

को और भी पुष्ट करता है। हमें वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को दी गई चुनौती में कोई गुणागुण नहीं दिखता।

21. इसलिए, इस रिट याचिका और आवेदन को 25,000/- रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। यह जुर्माना आज से आठ सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी को चुकाया जाएगा।

(गीता मित्तल)
न्यायाधीश

17 दिसंबर, 2013 **(दीपा शर्मा)**
एए **न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।